बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 374832 दिनांक :- 15/06/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-07/18

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरमन एवं योगदान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या 374412 दिनांक 12.06.2018 का संदर्भ लिया जाय । प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्रांक-पं.नि.30-29/2017-1288 दिनांक 15.06.18 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने नव पदस्थापन स्थान पर / प्रखंड में योगदान देने तथा प्रभार ग्रहण करने के प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान की गयी है ।

अत: अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना के आलोक में अपने अधीनस्थ सभी प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी को अपने नव पदस्थापन स्थान पर / प्रखंड में योगदान देने हेतु 48 घंटों के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही स्थानांतरित सभी प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित किया जाय कि वे पारगमन काल का उपभोग किए बिना अधिसूचित स्थान/प्रखंड में **दिनांक 19.06.18 तक** अचूक रूप से योगदान देना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त ।

(राधा किशोर झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 374832 दिनांक:- 15/06/18

प्रतिलिपि- सभी नवअधिसूचित प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 374832 दिनांक:- 15/06/18

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

15/06

ज्ञापांक:- 374832 दिनांक:- 15/06/18

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/ मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

15/06